न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी | आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.261 / प्रा.पत्र / 2018 (GCMS No. 2018 / 00646)	15.10.2018	20.10.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

भंवरलाल,किशनगोपाल,धनप्रकाश,राममोहन पि. रामचन्द्र, शांती, कान्ती, कन्या, मनभर, मानकंवर पुत्रिया रामचन्द्र, मु.धन्नी बेवा रामचन्द्र कौम रेगर, निवासी ग्राम जावटीकलां तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री रमेश जैन, एडवोकेट।

निर्णय

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी श्री रामचन्द्र आ. लालू जाति रेगर, निवासी ग्राम जावटीकलां, तहसील बून्दी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 104 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम जावटीकलां, आवंटन आदेश दिनांक 11.06.1999 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम,1970 के अन्तर्गत मृतक आवंटी के कायम मुकामान् के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया। बाजवूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने के कारण धनप्रकाश, शांति, कांती, कन्या, मनभर, मानकंवर, धन्नीबाई के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलेक्टर; बून्दी

बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी आवंटी को दिनांक 11.06.1999 को आवंटन की गई थी, आवंटी का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, पथरीली भूमि में कोई सुधार नहीं किया गया। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2074 के अनुसार उक्त आराजी पड़त है। आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य भी जमा नहीं करवाया गया है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण के पिता/पति रामचन्द्र आ. लालू रेगर को आवंटित भूमि बाबत आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। आवंटी रामचन्द्र का देहान्त हो चुका है तथा उसके वारिसान अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर गैर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुके है। आंवटन को 20 वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है। आवंटन से लेकर अब तक पहले आवंटी तथा उसके बाद आवंटी के पुत्र एवं पुत्रियों अप्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त है। ऐसे में गलत तथ्यों के आधार पर काफी विलम्ब से पेश किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी रामचन्द्र आ. लालू जाति रेगर निवासी ग्राम जावटीकलां, तहसील बून्दी को मिसल संख्या 7/1999 पर दिनांक 11.06.1999 को भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम जावटीकलां का आवंटन किया जाना प्रकट है। संलग्न आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन हेतु (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विकय) नियम,1957 के तहत आवेदन किया गया। आरक्षित मूल्य जमा करवाये जाने की शर्त पर उक्त नियमों के तहत आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। बकाया राशि 3775/- रूपये जमा कराये जाने के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया और न ही कोई कथन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 147/अपील/99 बउनवान रामलाल आ.धन्ना मेघवाल निवासी जावटीकलां

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

बनाम रामचन्द्र आ. लालू जाति रेगर निवासी जावटीकलां वगै. में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2001 की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त आवंटन पर गुणावगुण पर परीक्षण किया जाकर आवंटन के विरूद्ध पेश अपील खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार उक्त आवंटन के विरूद्ध अनकमाण्ड क्षेत्र के कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्ती हेतु पुनः कार्यवाही पेश किया जाना नियमान्तर्गत नहीं है, जो खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

आदेश आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी